

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 28/1/26

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 17,47,55,810/- (सतरह करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।


आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 17,47,55,810/- (सतरह करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	भवन प्रमंडल, सुपौल	29222	Construction of Additional 300 Bedded Girls Hostel for Supaul College of Engineering at Dist-Supaul	09 / 02.01.24	₹ 3,18,26,557/- (तीन करोड़ अठारह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ सतावन रुपये)
2	भवन प्रमंडल, किशनगंज	29466	सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत किशनगंज जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय, किशनगंज के अतिरिक्त निर्माण कार्य यथा-सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट (G+5), 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) (02 Blocks), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास भवन (G+3), type C भवन (G+5) (गेस्ट हाउस/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक) तथा एमेनिटी भवन (G+1) कार्य	4850 / 04.11.24	₹ 14,29,29,253/- (चौदह करोड़ उनतीस लाख उनतीस हजार दो सौ तिरपन रुपये)
योग:-					₹ 17,47,55,810 / -

(सतरह करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार आठ सौ दस रुपये)


2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-105-इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) विपत्र कोड-03-420201050105 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।


 (राजेश कुमार सिंह)
 सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 901 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पटना, दिनांक- 28/11/26


 सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 901 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 28/11/26


 सरकार के अपर सचिव।